In The Court Of District & Additional Sessions Judge-I-cum Special Judge NDPS Act, and P.O. of Children Court, Begusarai

Present:- M.P Singh
District & Additional Sessions Judge-I,
Begusarai

Schedule XLII – Form No. (J) 12

FORM OF HEADING OF DEPOSITION

NDPS Case No. 12 of 2024

Deposition of witness No. 03 for the prosecution PW aged about 32 years taken on solemn affirmation on the **24/06/2025**

My name - **Risha Kumari**

I am the ~~S/oD/o~~/W/o- Rajeev Ranjan

My age is 32 years. I am by religion Hindu My nationality is Indian.

My home is at mauza Bhangaha, Police Station- Kumarbagh, District- West Champaran

I reside at present in mauza DCRB Branch, Police station do, District Begusarai where I am S.I. .

On Oath :-

मुख्यपरीक्षण

1. यह केस मैनें किया है एवं मैं इस केस की सूचिका हूं। घटना 03.03.2024 की है। उस दिन मैं चेरिया बरियापुर थाना में पदस्थापित थीं। उस दिन संध्या गश्ती में ग्राम कुम्भी अन्य सशस्त्र बल के साथ संध्या गश्ती मे थी। तभी साढ़े सात बजे के करीब में गुप्त सूचना मिला कि कुम्भी स्थित सतपतही चौर में एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ किसी घटना को अंजाम देने वाला है। सूचना को वरीय पदाधिकारी को बताया। तब सतपतही चौर पहचें। तभी एक व्यक्ति पुलिस वाहन को देख कर भागने लगा जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ा गया। नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम पप्पू सहनी बताया।
2. तलाशी लेने के लिए आस पास स्वतंत्र साक्षी की खोजबीन की गई परन्तु चौर होने के कारण कोई साक्षी नहीं मिले तब साथ के सशस्त्र बल हवलदार रामचन्द्र चौहान एवं सिपाही चन्द्रशेखर कुमार के सहयोग से तलाशी नियमों का पालन करते हुए अभियुक्त का तलाशी लिया।
3. तलाशी के कम में अभियुक्त के कमर के दाहिने तरफ एक लोडेड देसी कट्टा बरामद हुआ जिसका बट लकड़ी का बना हुआ तथा उस पर काला टेप लपेटा हुआ था। पैंट के दाहिने पॉकेट से एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। कट्टा को मार्क A किया एवं कट्टा में लोडिड कारतूस को A/1 अंकित किया एवं पॉकेट से बरामद कारतूस को A/2 अंकित किया। अभियुक्त के हाथ में लिए प्लास्टिक का पीला थैला का तलाशी लिए तो तलाशी के कम में एक पैकेट भूरा टेप से लपेटा हुआ गांजा जैसा पदार्थ बरामद हुआ।
4. फिर थाना प्रभारी को सूचित किए। उनके द्वारा मजिस्ट्रेट के रूप में चेरियाबरियारपुर के सीओ को नियुक्त किया गया। वह घटना स्थल पर आए। फिर उनके समक्ष जप्त सामग्री को तौला गया तो उसका वजन 02 किलो 100 ग्राम हुआ। जिसे मार्क B दिया गया।
5. अभियुक्त को विधिवत गिरफतारी किया गया। पप्पू सहनी का गिरफतारी मेमो मेरे लेख वह हस्ताक्षर में है जिसे पहचानती हूं, सम्पुर्ण गिरफतारी मेमो को Ext.P2/PW3 अंकित किया जाता है।
6. तलाशी सह जप्त सूची दिनांक 03.03.2024 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है पहचानती हुं सम्पुर्ण तलाशी सह जप्ती सूची को Ext.P1/2/PW3 अंकित किया जाता है।

Risha Kumari S.I.
24/06/25

In The Court Of District & Additional Sessions Judge-I-cum Special Judge NDPS Act, and P.O. of Children Court, Begusarai

Present:- M.P Singh
District & Additional Sessions Judge-I, Begusarai

7. तलाशी सह जप्ती सूची पर चेरियाबरियारपुर के सीओ साहब का भी हस्ताक्षर है

8. घटना के संबंध में टंकित आवेदन जो मेरे द्वारा टाइप किया गया है, पर मेरा हस्ताक्षर है जिसे पहचानती हूं जिसे सम्पुर्ण Ext.P3/PW3 अंकित किया जाता है।

9. जप्त हथियार एवं कारतूस सब इस्पैक्टर संजीव कुमार पासवान के द्वारा मालखाना प्रभारी चेरियाबरियारपुर श्री मेराज अहमद सअनि से प्राप्त कर न्यायालय के समक्ष सिल बंद करके लाया गया है। न्यायालय के समक्ष इसका सिल तोड़ा गया एवं प्रदर्श को प्रस्तुत किया गया दो कारतूस एवं देसी कट्टा को क्रमशः Ext.M/PW3, Ext.M1/PW3 and Ext.M2/PW3 अंकित किया जाता है। जप्त कारतूस एवं देसी कटटा का अवलोकन बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा किया गया तत्पश्चात देसी कटटा एवं कारतूस को न्यायालय के समक्ष पुनः सिल बंद किया गया एवं श्री संजीव कुमार को देसी कटटा एवं दोनो कारतूस को चेरियाबरियारपुर मालखाना में विधिवत जमा करने हेतू वापस किया गया तथा श्री संजीव कुमार पासवान का अभिलेख का प्राप्ती रसीद बनाया गया।

10. अभियुक्त के पास से बरामद यही गांजा है जिसे मालखाना प्रभारी चेरियाबरियारपुर श्री मेराज अहमद सअनि से प्राप्त कर न्यायालय के समक्ष सिल बंद करके लाया गया है। न्यायालय के समक्ष इसका सिल तोड़ा गया एवं प्रदर्श को प्रस्तुत किया गया गांजा को Ext.M3/PW3 अंकित किया जाता है। जप्त गांजा का अवलोकन बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा किया गया तत्पश्चात गांजा को न्यायालय के समक्ष पुनः सिल बंद किया गया एवं श्री संजीव कुमार को गांजा को चेरियाबरियारपुर मालखाना में विधिवत जमा करने हेतू वापस किया गया तथा श्री संजीव कुमार पासवान का अभिलेख का प्राप्ती रसीद बनाया गया।

11. आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को पहचानते है।

*****<u>प्रतिपरीक्षण अभियुक्त पप्पू सहनी की ओर से श्री दीपक कुमार</u>*****

12. संध्या गश्ती के लिए थाना से शाम पांच बजे चले। स्टेशन डायरी में समय अंकित कराया था। सरकारी वाहन से चले थे। सरकारी वाहन का नम्बर नहीं बता सकते। सरकारी वाहन को थाना से चलने से पुर्व सर्च नहीं किया गया था। हम लोग अपना भी सर्च नही किए।

13. घटना स्थल पर पहुचने से पुर्व किस किस जगह पर कितना कितना देर रूके नहीं कह सकते।

14. घटनास्थल का चौहद्दी :– उत्तर – गेहूं का खेत, किसका खेत था नहीं कह सकते
दक्षिण – गेहूं का खेत, किसका खेत था नहीं कह सकते
पूरब – गेहूं का खेत, किसका खेत था नहीं कह सकते
पश्चिम – गेहूं का खेत, किसका खेत था नहीं कह सकते

15. गेहुं के खेत में गेहुं लगा था गेहुं की पौधा की लम्बाई लगभग दो फीट होगी।

16. अभियुक्त को खदेड़ का पकड़ा। गेहुं भी धंगाया था। कितना फीट धंगाया था, नहीं कह सकते।

17. वहां पर मेरे साथ दो सिपाही, डाईवर एवं एक पटना की टीम था। पटना की टीम में कौन कौन पदाधिकारी थे, नाम नहीं जानते।

18. चेरियाबरियारपुर के सीओ साहब के समक्ष वस्तु प्रदर्श को जप्त किया।

19. मेरे घटना स्थल पर पहुचने के एक घंटा के बाद सीओ साहब आए थे। तब तक हम अभियुक्त से वही पर पुछताछ कर रहे थे। सीओ साहब ने मुझे कुछ भी लिखित रूप से नही दिया। सीओ साहब का जप्ती सूची पर हस्ताक्षर है।

In The Court Of District & Additional Sessions Judge-I-cum Special Judge NDPS Act, and P.O. of Children Court, Begusarai

Present:- M.P Singh
District & Additional Sessions Judge-I,
Begusarai

NDPS Case No. 12 of 2024

PW-03, Risha Kumari

20. जप्ती सूची 21.45 बजे बनाया गया जो खेत में ही खड़े खड़े बनाया। पिस्टल की लम्बाई चौड़ाई याद नहीं है। मैं गांजा का एक्सपर्ट नहीं हूं।

21. अभियुक्त उस समय क्या कपडा पहना था,याद नहीं है।

22. ऐसी बात नहीं है कि अभियुक्त की गिरफतारी घटना स्थल पर नहीं हुई है तथा जैसा कहा है वैसी घटना नहीं है।

उक्त ब्यान मेरे द्वारा न्यायालय में दिया गया है तथा जिसे सुनने/पढ़ने के पश्चात सही पाये जाने पर न्यायालय में अपना अंगूठा/हस्ताक्षर लगा रहा/रही हूँ।

Risha Kumari (S.I)
24/06/25

गवाह का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान

Typed by Deposition writer under my dictation, corrected and Signed by me.

Deposition Writer
24/06/2025

Addl. Sessions Judge – I-cum,
Spl. Judge NDPS Act., Begusarai
24/06/2025